फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री कुशाल सिंह रावत समाजसेवी निवासी गांव सिरोदनिया पो. ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 15/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांकः—आरटीआई/26/अपील—15/2025/91 दिनांक 18.03.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री कुशालसिंह रावत समाजसेवी निवासी सिरोदनिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंकित दिनांक 29.11.2024 का कार्यालय हाजा को दिनांक 04.12.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.टी.आई/25/2024/652 दिनांक 13.12.2024 के साथ संलग्न कर प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। एवं बिन्दु संख्या 03 में चाही गई सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(11) के तहत अंतरित की जा चुकी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्त कराना फरमावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ के पत्रांक सूकाअ/41/2024/05 दिनांक 02.01.2025 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 03 प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 03 प्रार्थी भानचन्द पिता भीखा लौहार निवासी हेमपुरा ने ग्राम सिरोला के खसरा संख्या 472 कुल रकबा 1.59 किस्म बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई हैं। उक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली संख्या अंकित नही होने से प्रमाणित प्रति दिया जाना सम्भव नही हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी	

देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाओं के संबंध में रिपोर्ट अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक आर.टी.आई / 26 / 2024 / 652 दिनांक 13.12.2024 से उपलब्ध / अवगत करवा दिया तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 03 की वांछित सूचना में विशिष्टिया (पत्रावली संख्या) का अंकन नही किये जाने से वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 03 की वांछित सूचना के लिए विशिष्टिया (पत्रावली संख्या) का अंकन कर पुनः नियमानुसार आवेदन करें। अतः उक्त अपील को निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

24/1/25

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)